

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002**

No. F.3 (80)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/ 57

Dated: 31/01/18

Notification No.73/2017 – State Tax

F.3(80)/Fin (Rev-I)/2017-18/- In exercise of the powers conferred by section 128 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable under section 47 of the said Act, by any registered person for failure to furnish the return in FORM GSTR-4 by the due date, which is in excess of an amount of twenty five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that where the total amount payable in lieu of state tax in the said return is nil, the amount of late fee payable under section 47 of the said Act, by any registered person for failure to furnish the said return by the due date shall stand waived to the extent which is in excess of an amount of ten rupees for every day during which such failure continues.

2. This notification shall come into force with effect from the 29th day of December, 2017.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National Capital
Territory of Delhi,


(A.K. Singh)

Dy. Secretary VI (Finance)

No. F.3 (80)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/ 57

Dated: 31/01/18

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi in duplicate with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
2. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi
3. The Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
4. The Principal Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
5. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi

7. The P.A. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
8. The Additional Secretary (Law), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
9. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. Guard File.
11. Website



(A.K. Singh)

Dy. Secretary VI (Finance)

[दिल्ली राजपत्र, भाग 4, असाधारण में प्रकाशनार्थ]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व-1) विभाग
दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली - 110002

सं0फा0 03 (80) /वित्त/(राज0-1)/2017-18/डीएस-VII/ 57

दिनांक 31/01/18


अधिसूचना संख्या 73/ 2017 - राज्य कर

सं0फा0 03(80)/ वित्त(राज0-1)/2017-18/ - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-4 में विवरणी देने में असफल रहने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन देय विलंब फीस की रकम को अधित्यक्त करते हैं, जो ऐसे प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, पच्चीस रुपये की रकम से अधिक है।

परंतु जहां उक्त विवरणी में राज्य कर के स्थान पर देय कुल रकम शून्य है, वहां उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन नियत तारीख तक उक्त विवरणी प्रस्तुत करने में असफलता के लिए ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा देय विलंब फीस की रकम, ऐसे विस्तार तक, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, दस रुपये की रकम से अधिक है, अधित्यक्त रहेगी।

2. यह अधिसूचना दिनांक 29 दिसंबर, 2017 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,


(ए० के० सिंह)

उप-सचिव -VI (वित्त)

सं0फा0 03 (80) /वित्त/(राज0-1)/2017-18/डीएस-VII/ 57

दिनांक 31/01/18

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
2. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
3. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
4. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
5. आयुक्त, राज्य कर, व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
6. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।

7. नि.स. नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
8. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली ।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली ।
10. गार्ड फाइल ।
11. वेबसाइट ।

मारी
(ए० के० सिंह)
उप-सचिव -VI (वित्त)